


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2010/
353-68 दिनांक 15.1.11 के द्वारा राज्य के 2 जिलों के 1249 ग्रामों को
अभावग्रस्त घोषित किया गया है ।

राज्य सरकार के लिये गये निर्णयानुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में
आबियाना शुल्क की वसूली स्थगित किया जाना है । कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक
कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न:- अधिसूचना की प्रति


(तन्मय कुमार)
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राज0, जयपुर ।

पत्रांक एफ 1(1)(4) आ.प्र. एवं स.आ./सामान्य/ 010/ 371
जयपुर, दिनांक 15-1-11